न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 324/2024

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

––वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मन्जू पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. ओ.बी.सी. बैक हाल पंजाब नैशनल बैक शाखा खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगन (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री कैलाश सिंवल–वकील वादीगण
2. श्री परविन्द्र सिंह –वकील प्रति.सं.1ता2

निर्णय दिनांक :– 13.8.24

वादी विनोद कुमार ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 18.06.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादपत्र की चरण सं. 2 में इनकी वंशावली को दर्शाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का पिता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 8 आई.डी.जी. के खाता सं. 16/14 में कुल खाता 6.072 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई है। जिस पर वादी एंव प्रतिवादी सं. 2 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में बंटवारा कर लिया है, बंटवारा अनुसार वादी को 3.036 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 2 वादी की बहिन है। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. कर दिया है। अब प्रतिवादी 2 वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही रखना चाहती है इसलिए वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र की चरण स. 3 मे वर्णित कृषि भूमि में से 3.036 है कृषि भूमि वादी को बंटवारा में दी है। अतः वादी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 6.072 है. कृषि भूमि में से 3.036 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:47:1
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अधिकारी एंव दावेदार है। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का कई वर्ष पूर्व घरू बंटवारा कर लिया था। घरू बंटवारानुसार वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से अलग–अलग निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण सं. 6 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होना मान लेवे तो प्रतिवादीगण वादी के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गये, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 को बार–बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद न्यायालय में पेश नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 4 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। जमाबन्दी दस्तावेज चक नं. 8 आई.डी.जी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 पेश हुई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 8 आई.डी.जी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी के पिता का नाम अंकित है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हो चुका है। वादपत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादपत्र में वर्णित आराजी के पैतृक साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का स्वीकारात्मक जवाब दावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र में वर्णित आराजी विरासतन सम्पति है जिस पर वादी का जन्म से ही हित एवं स्वत्व निहित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कुल खाता 6.072 है. कृषि भूमि में से 3.036 है. कृषि भूमि का वादी विनोद कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश का हिस्सा इसी कदर कम किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रह [illegible] मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री [illegible] हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर [illegible] हो। निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:47:15
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईबादाई

अं.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 324 / 2024

विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

--वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मन्जू पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. ओ.बी.सी. बैक हाल पंजाब नैशनल बैक शाखा खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगन (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

--प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 13.8.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री परविन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी मुताबिक स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कुल खाता 6.072 है. कृषि भूमि में से 3.036 है. कृषि भूमि का वादी विनोद कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश का हिस्सा इसी कदर कम किया जाता है।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगें।

बसब्ब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज [illegible] किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:15 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया